न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 148/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

अरसद खान ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

नन्हें खान ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

19-11-24

थाना प्रभारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मेरे अधिकारिता क्षेत्र अंतर्गत लोक परिशांति भंग होने की संभावना पर निम्नलिखित विवरण वाले भू-खण्ड पर दिनांक 21.09.2024 की प्रभावी तिथि से निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा- हेसला, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह खाता नं0- 06, प्लॉट नं0- 418, रकबा- 12.25 डी0 चौहद्दी : उ0- द्वितीय पक्ष का मकान, द0- रास्ता, पू0- अरसद खान एवं अन्य का मकान, प0- परती कदीम

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रथम पक्ष की ओर से लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई लिखित कारण पृच्छा अथवा भूमि संबंधी राजस्व दस्तावेज इत्यादि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत या दाखिल नहीं किया गया। प्रथम पक्ष के आवेदन तथा दाखिल कारण पृच्छा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि रैयती खाते की है तथा खतियानी रैयत के रूप में अब्दुल्ला खाँ तथा सहदुल्ला खाँ वल्द नथे खाँ का नाम दर्ज है। प्रथम पक्ष का कहना है कि उन्हें अपनी नानी आमुना खातुन के द्वारा कारित किए गए वसीयतनामा के जरिए उक्त भूमि प्राप्त हुई है तथा वसीयत के आधार पर अंचल कार्यालय बगोदर के पंजी-II भाग सं0- 01 पृष्ठ सं0- 63 पर जमाबंदी कायम है। प्रथम पक्ष का आगे कहना है कि द्वितीय पक्ष के नन्हें खान पिता स्व0 सदरूद्दीन खान के द्वारा जबरन उक्त भूमि पर कार्य करने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई लिखित कारण पृच्छा अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। थाना प्रभारी बगोदर के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष के मध्य विवादग्रस्त भूमि के दखल कब्जे को लेकर विवाद है।

चुँकि उपरोक्त वाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई लिखित कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है परन्तु प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत आवेदन, कारण पृच्छा तथा थाना प्रभारी के जाँच प्रतिवेदन से मै इस तथ्य से संतुष्ट हुँ कि उभय पक्ष के मध्य उक्त विवादग्रस्त भूमि के दखल कब्जा को लेकर विवाद है अतः प्रस्तुत वाद को अग्रेत्तर विवेचन हेतु भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 में परिवर्तित करना श्रेयस्कर होगा।

अतः प्रस्तुत वाद को भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 के तहत परिवर्तित किया जाता है।

उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

वाद को सुनवाई हेतु .....04-03-25..... को रखें।

लेखापित एवं संशोधित

19-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

19-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.02.19 16:38:10 +05:30
Location: 192.168.1.10